फाईल सं. ई-11014/3/2025-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(राजभाषा अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 23/10/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की दिनांक 30.09.2026 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की दिनांक 30.09.2026 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95 वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग, प्रचार-प्रसार और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन संबंधी नीति का उल्लेख किया तथा कहा कि इस दिशा में बहुमूल्य योगदान देना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है।

अध्यक्ष महोदय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न अनुभागों की 31 मार्च, 2026 और 30 जून, 2026 की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए रोकड़ अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, सतर्कता अनुभाग, अटल भूजल अनुभाग, बाढ़ प्रबंधन स्कंद और सिंधु स्कंद जैसे अनुभागों के हिंदी पत्राचार के 90 प्रतिशत से अधिक होने पर उनके प्रयासों की सराहना की तथा जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार 50 प्रतिशत से कम था, उन्हें हिंदी पत्राचार बढ़ाने के उपयुक्त उपाय करने के निदेश दिए। **इस संबंध में कार्मिकों को उनके जन्मदिन पर हिंदी में शुभकामना पत्र भेजा जाना, आईईसी अनुभाग द्वारा महिला दिवस और योग दिवस जैसे विशेष अवसरों पर सूचनाएं, नोटिस और संदेश हिंदी में जारी करना, समन्वय अनुभाग द्वारा एसओएम संबंधी नोटिस एवं कार्यसूची द्विभाषी रूप में जारी करना जैसे सुझाव दिए गए। इसके अतिरिक्त हिंदी पत्राचार बढ़ाने के प्रभावी उपाय के रूप में अंग्रेजी/हिंदी में प्राप्त पत्रों की पावती हिंदी में दी जा सकती है।**

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में हिंदी का पर्याप्त उपयोग होता है तथा इन क्षेत्रों के साथ पत्राचार हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उल्लेख किया कि हमारा विभाग 'क' क्षेत्र में स्थित है तथा हिदीं पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी

वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास सभी को करने चाहिए। **अध्यक्ष महोदय संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी लागू राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जानते हुए उल्लंघन करता है तो संबंधित नियमों एवं आदेशों के आधार पर उसके विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।**

उपरोक्त के मद्देनजर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अनुभागों/प्रभागों/स्कंद से अनुरोध है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों जिसमें हिंदी पत्राचार, हिंदी टिप्पण लेखन आदि लक्ष्य सहित सभी संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने का कष्ट करें।

संलग्न: 1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95 वीं बैठक का कार्यवृत्त
2. वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 की प्रति।

23/10/2026

(राजेंद्र कुमार)
उपनिदेशक (रा. भा.)

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अनुभाग/स्कंद/प्रभाग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधान निजी सचिव।

फा.सं.ई-11014/3/2025-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(राजभाषा अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांकः 16.10.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 30.09.2026 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2026 को आयोजित जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की 95वीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है।

अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में लिए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, को ई-मेलः Hindi-mowr@gov.in पर भेजने का कष्ट करे।

संलग्नकः- यथोपरि

संगीता
16.10.2026

(संगीता टी.)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाषः-23310408

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य तथा अनुभाग।
2. उप-सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर - II भवन, बी विंग, चैथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपी सूचनार्थ,

1. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के प्रधान निजी सचिव।
2. उपनिदेशक (राजभाषा), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय।

आर्थिक सलाहकार और राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2026 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक का कार्यवृत्त

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी डॉ. बिजय कुमार बेहरा, की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2026 को समिति कक्ष, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी सदस्यों तथा विशेष आमंत्रित अतिथि श्री राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों का विस्तृत परिचय लिया। **अध्यक्ष महोदय ने कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की तथा निर्देश दिया कि इस संबंध में उनके नियंत्रण अधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु उनकी ओर से पत्र जारी किया जाए।** उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सभी सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि सार्थक चर्चा एवं निर्णय लिए जा सकें। यदि कोई सदस्य अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो इसकी पूर्व सूचना उप निदेशक (राजभाषा) के माध्यम से समिति को दी जाए तथा उपयुक्त स्तर के कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु नामित किया जाए। **(कार्रवाई: सभी सदस्य एवं उप निदेशक (राजभाषा))**

3. अध्यक्ष महोदय ने सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अनुभाग के किसी अधिकारी/प्रतिनिधि के बैठक में उपस्थित न होने तथा आज की बैठक की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सोशल मीडिया टीम की अनुपस्थिति पर भी गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों को समुचित प्रचार-प्रसार प्रदान करने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजभाषा हिंदी से संबंधित गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने, सूचनाओं को साझा करने से तथा राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। उन्होंने बताया कि आईईसी अनुभाग के संबंधित कार्मिक न केवल आज की बैठक में अनुपस्थित रहे, बल्कि वे अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन में भी विफल रहे। आईईसी सरकार की गतिविधियों, योजनाओं, जन-जागरूकता अभियानों तथा विकास परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। **[कार्रवाई: आईईसी प्रकोष्ठ एवं उप निदेशक (राजभाषा)]**

4. अध्यक्ष महोदय ने इस तथ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की कि उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित बैठक चार बार स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि सामान्य प्रशासन अनुभाग जिससे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का समय पर आयोजन सुनिश्चित हो तथा मंत्रालय में राजभाषा

के प्रचार-प्रसार हेतु समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक समिति कक्ष/सम्मेलन कक्ष आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर विभाग के बाहर भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए।**(कार्रवाई: सामान्य प्रशासन अनुभाग)**

5. राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग, प्रचार-प्रसार और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन संबंधी नीति का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अतः इस दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान देना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को हरसंभव प्रयास करना चाहिए। **[कार्रवाई: सभी सदस्य एवं उप निदेशक (राजभाषा)]**

6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक की कार्यसूची

श्री राजेंद्र कुमार, उप निदेशक (राजभाषा) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद ने समिति को बैठक में विचार-विमर्श हेतु निर्धारित कार्यसूची के विभिन्न मदों की जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन मदों पर चर्चा के साथ-साथ राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव भी प्रस्तुत करें। इससे बैठक में उपस्थित विभिन्न अनुभागों एवं प्रभागों के प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने तथा राजभाषा के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान हेतु सामूहिक प्रयास करने का अवसर मिलेगा। इससे सार्थक, सहभागितापूर्ण एवं प्रभावी समाधान निकालने में सहायता मिलेगी।

6.1 पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

उप निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 94वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को परिचालित कर दिया गया था। इस संबंध में कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः पिछली बैठक के कार्यवृत्त की बिना किसी संशोधन के पुष्टि की गई।

6.2 पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

समिति को अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सभी संबंधित अनुभागों को सूचित किया गया था। कुछ अनुभागों से अनुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। **(कार्रवाई: सभी अनुभाग)**

6.3 अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 30.06.2026 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट बेसिन प्रबंधन अनुभाग, एसपीआर-I अनुभाग, एसपीआर-II अनुभाग, एमआई अनुभाग, एमआई (सांख्यिकी) अनुभाग तथा कमान क्षेत्र विकास अनुभाग से प्राप्त न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने संबंधित अनुभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तत्काल राजभाषा अनुभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **यह निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुभागों के नियंत्रण अधिकारियों का ध्यान समयबद्ध कार्रवाई की ओर आकर्षित करने के लिए आर्थिक सलाहकार के हस्ताक्षर से एक टिप्पणी भेजी जाए। (कार्रवाई: संबंधित अनुभाग)**

6.3.1 मार्च 2026 और जून 2026 को समाप्त तिमाहियों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा

मार्च 2026 और जून 2026 को समाप्त तिमाहियों की तिमाही प्रगति की तुलनात्मक रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। 31 मार्च 2026 तथा 30 जून 2026 को समाप्त तिमाहियों की प्रगति रिपोर्टों के तुलनात्मक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने रोकड़ अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, सतर्कता अनुभाग, अटल भूजल, बाढ़ प्रबंधन स्कन्ध तथा सिंधु स्कन्ध जैसे अनुभागों के प्रयासों की सराहना की, जहां हिंदी पत्राचार 90 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने 50 प्रतिशत से कम हिंदी पत्राचार वाले अनुभागों को हिंदी पत्राचार करने का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा सिक्किम जैसे राज्यों में हिंदी का पर्याप्त प्रयोग होता है। अतः इन क्षेत्रों के साथ पत्राचार हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में किया जा सकता है। राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह बताया कि हमारा विभाग 'क' क्षेत्र में स्थित है, जहां हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी इस पहलू पर विशेष बल दिया जाता है। **(कार्रवाई: सभी अनुभाग)**

6.4 राजभाषा नियमों और प्रावधानों का अनुपालन

उप निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि नियम 5 के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। उप निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 श्रेणियों के दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को केवल हिंदी अथवा केवल अंग्रेजी में जारी करना अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन है। **इसके अतिरिक्त, सभी अनुभागों से अनुरोध किया गया कि संसदीय राजभाषा**

समिति द्वारा निरीक्षण प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करें, ताकि उसका संकलन करके निर्धारित समय-सीमा के भीतर समिति सचिवालय को भेजा जा सके। (कार्रवाई: सभी अनुभाग)

6.5 हिंदी पत्राचार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय में हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से मूल कार्य हिंदी में करने तथा प्राप्त पत्राचार का उत्तर हिंदी में देने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित कर्मचारियों को उनके जन्मदिन पर हिंदी में शुभकामना पत्र भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आईईसी अनुभाग को महिला दिवस और योग दिवस जैसे विशेष अवसरों पर सूचनाएं, नोटिस तथा संदेश हिंदी में जारी करने चाहिए। समन्वय अनुभाग को एसओएम संबंधी नोटिस एवं कार्यसूची द्विभाषी रूप में जारी करनी चाहिए। श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के प्रभावी उपाय के रूप में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की पावती हिंदी में देने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि यदि एक ही पत्र ई-मेल के माध्यम से अनेक कार्यालयों/अनुभागों को भेजा जाता है, तो पत्राचार की संख्या एवं प्रतिशत की गणना उन कार्यालयों की कुल संख्या तथा उनके संबंधित भाषायी क्षेत्रों अर्थात् 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के आधार पर की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कार्यालय में प्राप्त पत्रों की पावती हिंदी में दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में हिंदी पत्राचार से संबंधित आंकड़ों में सभी प्रकार के सरकारी कार्य शामिल होते हैं, जैसे टिप्पणी लेखन, प्रारूपण, पत्राचार, लेखांकन, मसौदा लेखन, रजिस्टरों/डायरियों में प्रविष्टियां करना, ई-मेल तथा मौखिक चर्चा आदि। **(कार्रवाई: सभी अनुभाग)**

6.5.1 ई-ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करना

ई-ऑफिस में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने ई-गवर्नेंस अनुभाग को निर्देश दिया कि ई-ऑफिस की नोटशीट पर अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और पदनाम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य को बैठक के कार्यवृत्त जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। **[(कार्रवाई: ई-गवर्नेंस अनुभाग एवं उप निदेशक (राजभाषा)]**

6.6 संसद सत्र के दौरान राजभाषा अनुभाग को सौंपे गए कार्यों का समयबद्ध निपटान

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि संसद सत्र के दौरान राजभाषा अनुभाग में कार्यभार अधिक रहता है तथा विभिन्न मामलों का समयबद्ध निपटान करना आवश्यक होता है। अतः राजभाषा अनुभाग को अनुवाद हेतु भेजे गए किसी दस्तावेज के प्रारूप में यदि कोई संशोधन

अथवा सुधार किया जाता है, तो पुनः भेजने से पहले संशोधित भाग को स्पष्ट रूप से हाइलाइट किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने अनुभागों को इस प्रक्रिया से अवगत कराएं। साथ ही, राजभाषा अनुभाग को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के किसी भी मामले की जानकारी अध्यक्ष महोदय को दी जाए। **उन्होंने सभी सदस्यों को यह भी निर्देश दिया कि हिंदी अनुभाग को कोई भी सामग्री व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से न भेजी जाए क्योंकि यह पत्राचार का औपचारिक माध्यम नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्मार्टफोन के उपयोग तथा इंटरनेट की उपलब्धता जैसी विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के कारण राजभाषा अनुभाग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए इस माध्यम से कार्य करना सुविधाजनक नहीं होगा। (कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग तथा अन्य सभी अनुभाग)**

<u>6.7 विभाग की वार्षिक गृह-पत्रिका का प्रकाशन</u>

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वार्षिक गृह-पत्रिका के प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि इस विषय पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इतने बड़े विभाग की अब तक अपनी कोई गृह-पत्रिका नहीं है जबकि इसके नियंत्रणाधीन कुछ अन्य संगठनों द्वारा गृह-पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। समिति ने पत्रिका के लिए विभिन्न नाम सुझाए, जिनमें **'वरुणा-वाणी', 'वरुणाश्रय', 'जल शक्ति संवाद', 'जल अमृतम्', 'जल वाहिनी'** तथा **'सदानीरा'** शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि पत्रिका के लिए सुझाए गए नामों तथा योगदानकर्ताओं को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव सहित सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। यह प्रस्ताव राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

मंत्रालय के सभी विभागों तथा अनुभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा पत्रिका को रोचक बनाने के लिए लेख, निबंध, कविताएं, कहानियां एवं रिपोर्ट आदि विभिन्न विषयों पर रचनाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस विषय पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लेखकों एवं रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सचिव महोदया के अनुमोदन से मानदेय/पारिश्रमिक देने का भी सुझाव दिया। समिति ने सहमति व्यक्त की कि मानदेय की अधिकतम राशि 2,000 रुपये निर्धारित की जा सकती है। समिति ने प्रस्ताव किया कि पत्रिका की प्रतियां जल शक्ति मंत्रालय के सभी अनुभागों/विंगों, इसके सभी विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राजभाषा विभाग तथा संसदीय राजभाषा समिति को वितरित की जाएं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मुद्रित की जाने वाली प्रतियों की संख्या के संबंध में तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने समिति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों, न्यासों आदि द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के

लिए संचालित **'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'** योजना के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हिंदी गृह-पत्रिकाओं को मानकीकृत करने तथा उनके प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाषायी क्षेत्र अर्थात् ('क', 'ख' एवं 'ग') में प्रतिवर्ष दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी दिवस समारोह के दौरान शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार योजना के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, पत्रिका में कम-से-कम 40 पृष्ठ तथा पत्रिका के कुल मुद्रित पृष्ठों में हिंदी सामग्री का अनुपात कम-से-कम 80 प्रतिशत है एवं वित्तीय वर्ष के दौरान पत्रिका के कम-से-कम दो अंक प्रकाशित होने चाहिए। **(कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग)**

7. राजभाषा के रिक्त पदों को भरना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि राजभाषा अनुभाग में निदेशक (राजभाषा) तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) के दो पद काफी समय से रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाए ताकि सचिव महोदया को इससे अवगत कराते हुए पदों को शीघ्र भरने हेतु तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। **(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)**

8. राजभाषा संबंधी प्रावधानों तथा आदेशों का जानते हुए उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने पर आधारित है। साथ ही, नियमों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत जारी निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी लागू राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जानते हुए उल्लंघन करता है तो संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

9. मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल कार्यालयों में से कम-से-कम 30 प्रतिशत कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस संबंध में कार्ययोजना तैयार की जाए

तथा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। ये निरीक्षण आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, उप निदेशक (राजभाषा) अथवा सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा किए जा सकते हैं।

श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने समिति को अवगत कराया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप केंद्रीय भूजल बोर्ड, मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से 48 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ये निरीक्षण ऑनलाइन करने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से किए जाने चाहिए। उन्होंने समिति को निर्धारित निरीक्षण प्रश्नावली के विषय में भी जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय ने पुनः निर्देश दिया कि विभाग के नियंत्रणाधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं संगठनों के समयबद्ध निरीक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए तथा निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। **[कार्रवाई: उप निदेशक (राजभाषा)]**

10. मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की तैयारियों की समीक्षा

मंत्रालय की प्रस्तावित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जाएं तथा मंत्रालय के सभी अधीनस्थ विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करके उसको संकलन किया जाए।
उन्होंने मंत्रालय के उप निदेशक (राजभाषा) तथा केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के उप निदेशक (राजभाषा) को कार्ययोजना तैयार करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि जल शक्ति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक बिना किसी और विलंब के आयोजित की जा सके।

निर्धारित कार्यसूची के मद

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इन प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए तिमाही रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी पत्राचार एवं हिंदी टिप्पण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। तिमाही रिपोर्टों की निरंतर समीक्षा की जाती है।
- हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

- वेबसाइट से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने विभाग की वेबसाइट को प्राथमिकता के आधार पर द्विभाषी रूप में अद्यतन करने के निर्देश दिए। उनके द्वारा यह बताया गया कि यह एक सतत प्रक्रिया है तथा वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन किए जाने के कार्य की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।
- विभाग के लगभग सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में कार्यालय के अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किए जाने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उन अनुभागों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जहां हिंदी पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से कम है। उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास करने तथा सभी अनुभागों को अपना अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में करने का निर्देश दिया। **[कार्रवाई: उप निदेशक (राजभाषा)]**

11. बैठक के समापन पर अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने राजभाषा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक विचारों तथा नए उपायों को अपनाने पर विशेष बल दिया। उप निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया कि बैठक के दौरान जारी सभी निर्देशों का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अपने समापन संबोधन में अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की तथा इस दिशा में और अधिक ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। उनके द्वारा यह बताया गया कि सरकारी कामकाज हिंदी में करना हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार की दिशा में आगे और प्रगति होगी।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

***

अनुलग्नक

दिनांक 30.09.2026 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र. सं.	सदस्य	अनुभाग	अभ्युक्ति
1.	श्री साहिल गोयल, निदेशक	एनएचपी	स्वयं
2.	श्री आशीष सिंह, उपायुक्त	बी एवं बी	स्वयं
3.	श्री मोहित सैन, सहायक अनुभाग अधिकारी	कमान क्षेत्र विकास	उप निदेशक के स्थान पर एएसओ की तैनाती
4.	श्री पवन कुमार नागर, उप आयुक्त	सिंधु	स्वयं
5.	श्री महेन्द्र नाथ तिवारी, उप सचिव	ई-III एवं संसद	स्वयं
6.	श्री समीर कुमार मुंडा, अवर सचिव	ई-IV और पीएसयू	उप सचिव के स्थान पर अवर सचिव की तैनाती
7.	सुश्री ललिता मैनी, उप सचिव	जीडब्ल्यूई	स्वयं
8.	श्री अभिराम कुमार, अवर सचिव	ईए एवं आईसी	उप सचिव के स्थान पर अवर सचिव की तैनाती
9.	श्री बिकाश महतो, उप सचिव	ई-II	स्वंय
10.	श्री विनोद कुमार गुप्ता, अनुभाग अधिकारी	समन्वय	निदेशक के स्थान पर अनुभाग अधिकारी की तैनाती
11.	सुश्री शालिनी गुप्ता, अवर सचिव	सतर्कता	उप सचिव के स्थान पर अवर सचिव की तैनाती
12.	श्री साकेत सौरभ, अवर सचिव	प्रशासन एवं रोकड़	उप सचिव के स्थान पर अवर सचिव की तैनाती
13.	श्री लोकेश, एसएसए	सामान्य प्रशासन	उप सचिव के स्थान पर एसएसए की तैनाती
14.	श्री कुमार मलय, सहायक अनुभाग अधिकारी	सामान्य प्रशासन	उप सचिव के स्थान पर एएसओ की तैनाती
15.	श्री मनोज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	बाढ़ प्रबंधन	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त के स्थान पर एएसओ की तैनाती
16.	श्री गौरांक सैनी, सहायक अनुभाग अधिकारी	योजना इकाई	संयुक्त निदेशक के स्थान पर एएसओ की तैनाती
17.	श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक (राजभाषा)	सीजीडब्ल्यूबी	अधीनस्थ कार्यालय के प्रतिनिधि

दिनांक 30.09.2026 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक में अनुपस्थित सदस्यों की सूची

क्र. सं.	सदस्य	प्रभाग/विंग/अनुभाग
1.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त	पेन रिवर
2.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त	पीपी
3.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त	एसपीआर -I
4.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त	एसपीआर -II
5.	उप सचिव	ई-I
6.	उप सचिव	आईएफडी
7.	उप सचिव	ई-गवर्नेन्स
8.	संयुक्त निदेशक	एमआई
9.	संयुक्त निदेशक	एमआई (सांख्यिकी)
10.	अवर सचिव	बीएम

डॉ. निधि पाण्डेय, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव
Dr. Nidhi Pandey, IAS
Joint Secretary

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

1/7

अ.शा. पत्र सं. 11011/03/2026-रा.भा.(अनु.)

दिनांकः 13 अक्टूबर, 2026

14 OCT 2026

आदरणीय महोदय / महोदया,

राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम तैयार करके भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को भेजा जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी मूल्यांकन के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखी जाती है।

2. इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-2027 का वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की एक प्रति (अनुलग्नक) आपके सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है। यह कार्यक्रम https://rajbhasha.gov.in/hi/annual-programme-and-reports पर भी उपलब्ध है।

3. उल्लेखनीय है कि वार्षिक कार्यक्रम सभी मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सांविधिक निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, आयोगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों आदि प्रत्येक पर लागू है तथा इसके कार्यान्वयन का दायित्व सभी का है। आपको विदित होगा कि आपके मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों की उपलब्धियों की निगरानी आप त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

4. आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया अपने मंत्रालय/विभाग और उसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2026-2027 के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

शुभेच्छु,

13.10.2026

(डॉ. निधि पाण्डेय)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

एनडीसीसी–II भवन, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001.
NDCC-II Building, 4th Floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001
टेलीफैक्स (का.) / Telefax (O) : 011-23438130 ई–मेल / E-mail : jsol@nic.in

प्रतिलिपिः

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों के राजभाषा प्रभारी अधिकारी

(डॉ. निधि पाण्डेय)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम

2026-27

ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

2026-27

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **60%** 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **60%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	**100%**	**100%**	**100%**
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एव आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	**100%**	**100%**	**100%**
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	**100%**	**100%**	**100%**

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13 .	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	**45%**	35%	25%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरका के कार्यालयों के साथ)	50%
(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण	50%
(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए)	प्रत्येक वर्ष में एक बैठक
(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए)	प्रत्येक तिमाही में एक बैठक
(ड.) कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता	100%
(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक	प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक
(छ) दुभाषियों की व्यवस्था	प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए।